



# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग



तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,  
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923

वेबसाइट: www.cercind.gov.in

सत्यमेव जयते

याचिका सं. 406/टीडी/2024

दिनांक: 13.11.2024

## विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क)के अधीन नोटिस

1. संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए श्रेणी-I की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए एनजी एनर्जी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट सं. 3, 4 एवं 5, छठी मंजिल, फाउंटेनहेड, टावर-2, विरनन नगर, पुणे-411014, महाराष्ट्र द्वारा आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है।
2. एनजी एनर्जी मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति वेबसाइट <https://engieindia.com/> पर देखी जा सकती है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
3. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अर्हक है और दिनांक 11.11.2024 के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-I की अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त विद्युत में अंतर-राज्यिक व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के प्रस्ताव के प्रति, सुझाव या आपत्तियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिए एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है जो कि दिनांक 26.11.2024 तक अधोहस्ताक्षरी के पास ऊपर दिए गए पते पर पहुंच जाएं। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आयोग ने दिनांक 28.11.2024 को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किया है और जो व्यक्ति सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इस पुनर्वाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रीत सिंह पुंथी)

सचिव